



कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
फेक्स व फोन नं. 01425-254982

(वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत)

No.F.13/SKNAU/EO/TENDER/2025-26/1869-73

DATE: 09.01.2026

ई-बिड सूचना सख्यां 32 (2025-26)

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के माननीय कुलपति महोदय की ओर से विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में इस विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के समकक्ष हो व सम्बन्धित कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मों से ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन बिड प्राप्त की जावेगी। बिड से सम्बन्धित विवरण वेब साईट sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

बिड प्रपत्रों को वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन बिडों में भाग लेने वाले संवेदक बिड को इलेक्ट्रॉनिक फोरमेंट में वेबसाईट व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएँ।

क्रं सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रुं लाखों में	बोली प्रतिभूति	इस वि. वि. में पंजीकृत संवेदकों से बोली प्रतिभूति	प्रोसेसिंग शुल्क	बिड शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	यूनिक बिड नम्बर
1.	Construction of Mushroom Cultivation Technology EL Unit at COA, Kumher.	10.00	20,000	5,000	500	500	4 माह	
2.	Construction of Integrated Agro Food Processing EL Unit at COA, Kumher.	10.00	20,000	5,000	500	500	4 माह	
3.	Construction of Vermi Compost and Waste Management EL Unit at COA, Kumher.	5.00	10,000	2,500	500	500	2 माह	
4	Repairing work of Godown, Tractor Garage and Paver Block at ARSS, Kumher, Bharatpur.	9.94	19,880	4,970	500	500	4 माह	
5	COstruction of Seed Storage Godown at RARI, Durgapura, Jaipur.	35.00	70,000	17,500	500	1000	6 माह	
6	Constructon of Seed Store, Implement Shed & Threshing Floor at COA, Baseri, Dholpur.	30.00	60,000	15,000	500	1000	5 माह	
7	Constructon of Seed Store, Implement Shed & Threshing Floor at COA, Bhusawar.	30.00	60,000	15,000	500	1000	5 माह	
8	Constructon of Seed Store, Implement Shed & Threshing Floor at COA, Kotputli.	30.00	60,000	15,000	500	1000	5 माह	
9	Constructon of Seed Store, Implement Shed & Threshing Floor at COA, Navgaon.	30.00	60,000	15,000	500	1000	5 माह	
		189.94	3,79,880	94,970	4,500	7,000		

1. बिड हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी :-

किसी भी सीमा तक	:	एए श्रेणी संवेदक
रु. 1000 लाख तक	:	ए श्रेणी संवेदक
रु. 500 लाख तक	:	बी श्रेणी संवेदक
रु. 150 लाख तक	:	सी श्रेणी संवेदक
रु. 30 लाख तक	:	डी श्रेणी संवेदक

- बिडदाता द्वारा बोली प्रतिभूति राशी, बिड शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कार्यालय में दिनांक 19.01.2026 दोपहर 3.00 बजे तक जमा करवानी है।
- प्रोसेसिंग शुल्क के लिये 500 रु का डी•डी• MD,RISL, JAIPUR के नाम देय होगी तथा प्रतिभूति राशी एवं बिड शुल्क डी•डी•/बैंकर्स चैक द्वारा इस्टेट ऑफिसर एस•के•एन•ए•यू• जोबनेर के नाम से ही जमा की जायेगी।
- बिड प्रपत्रो हेतु आवेदन डाउनलोड की अवधि दिनांक 10.01.2026 प्रातः 10.00 बजें से 19.01.2026 दोपहर 1.00 बजे तक।
- (अ) बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक, फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> में दिनांक 14.01.2026 प्रातः 10.00 बजे से 19.01.2026 दोपहर 2.00 बजे तक जमा कराये जा सकते है एवं प्राप्त बिड इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में दिनांक 20.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर बिड खोली जायेगी।
(ब) बिड की समस्त प्रक्रिया ऑन-लाईन होगी।
(स) बिड खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि समस्त बिड नही खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष बिड खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- कार्यों के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 10.01.2026 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 19.01.2026 दोपहर 1.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में बिड प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं sknau.ac.in तथा sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। बिड प्रपत्रों में बिडकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा बिडकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में अधिकारी/कर्मचारी वर्ग मे किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

8. विश्वविद्यालय में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी विश्वविद्यालय अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय की उक्त लिखित अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा ।
9. किसी भी बिड को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू ए-100 (आज दिनांक तक संशोधित) की समस्त शर्तें मान्य होगी।
10. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
11. कार्य की लागत जी अनुसूची में दर्शाये 10.00 लाख से अधिक राशि पर कार्य के दोष निवारण एवं उनके सुधार डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड का उत्तर दायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात मुख्य अभियंता, सा.नि.वि राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एसई(आर)/ईईजीजीपी-II/डीएलपी/20-21/डी-95 दिनांक 06.01.2021 के अनुसार 5 वर्ष तक लागू होगा।
12. संवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज बिड के साथ अपलोड करने पर ही उनकी बिड को खोला जायेगा:-
- (क) फर्म का ठेकेदारी के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - (ख) GST पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - (ग) बिड में दर्शाये अनुसार बोली प्रतिभूति राशि, बिड शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क की DD या बैंकर्स चैक की छाया प्रतिया।
 - (घ) संलग्न परिशिष्ट क के अनुसार 50/-रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र तथा अन्य घोषणाएं यथा A,B, C व Special Condition Form etc.
 - (ङ) बोली प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने संबंधी वि. वि. में पंजीयन होने के प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश की छाया प्रति।
 - (च) गत पांच वर्षों में अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत या अधिक राशि का समान प्रकार का एकल कार्य का सफलतापूर्वक पूर्ण करने का संबंधित विभाग/संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 - (छ) पेन कार्ड की छाया प्रति।
 - (ज) श्रम विभाग में पंजियन के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
13. संवेदक को बिड खोलने से पूर्व किसी भी मूल दस्तावेज को भौतिक रूप से जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु E.M., BID Fees & Processing Fees (MD-RISL) इत्यादि की D.D. के साथ परिशिष्ट 'क' (स्टाम्प पेपर पर घोषणा) भी मूल रूप से जमा कराना होगा। बिडदाता द्वारा दी गई दरे तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 90 दिनो तक मान्य रहेगी।
14. बिड में सबसे कम दर दाता को क्र.स 11 में दर्शाये गये दस्तावेजो वेरीफाई करने हेतु मूल दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।

15. ई-टेंडरिंग के लिए बिडताओ हेतु निर्देश :-

(अ) इन बिडों में भाग लेने वाले बिडदाता बिड प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ब) बिडों में भाग लेने बिडताओ को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण करवाना होगा। ऑन लाईन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बिड में साइन करने हेतु काम आएगा। बिड दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडदाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) बिडदाताओ को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) ऑन लाईन बिड निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या-4 के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(र) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

(ल) बोली प्रतिभूति राशि की वापसी 1st lowest बिडदाता के अलावा अन्य बिडदाताओं को सफल बिडदाता से करार निष्पादन हो जाने के बाद ही लौटायी जावेगी। किसी बिडदाता द्वारा ऑन लाईन बिड प्रक्रिया में भाग नहीं लेने पर बिड शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापिस नहीं लौटाया जावेगा। कार्य सम्पादन पर देय सभी प्रकार के कर बिडदाता को वहन करना होगा।

16. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली

लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

17. अपील का प्ररूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र –‘य’) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।



भू-सम्पत्ति अधिकारी

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

परिशिष्ट 'क'

50/- रु. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप

(नोटेरी से तस्दीक होना चाहिए)

- मैं (नाम) (पिता का नाम)
 (उम्र) जाति व्यवसाय
 निवासी का हूँ जो कि शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि—
1. मैं मेरी/हमारी फर्म का एक मात्र मालिक/हिस्से दार हूँ तथा मैं यह घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हूँ।
 2. मेरी/हमारी फर्म विभाग में
 श्रेणी में स्थायी/अस्थायी रूप से पंजीकृत है तथा यह पंजीयन आज दिनांक तक वैध है।
 3. मेरे द्वारा भू सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा जारी बिड सूचना संख्या में वर्णित पात्रता सम्बन्धी समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मुझे PWF&AR, RTPPA 2012, RTPPR 2013 के प्रावधान तथा अनुबंध पत्र में उल्लेखित की जाने वाली समस्त शर्तें मान्य हैं एवं मेरी/हमारी फर्म उक्त बिड के कार्य क्रम संख्या में बिड भरने हेतु पात्र है।
 4. इन कार्यों को करने हेतु मेरी/हमारी फर्म के पास आवश्यक समस्त मशीनरी एवं अन्य संसाधन उपलब्ध है।
 5. मेरे द्वारा उक्त बिड में प्रस्तुत किए गये समस्त दस्तावेज पूर्णतः वैध हैं तथा समस्त तथ्य सही हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया/घटाया/बढाया नहीं है।

उपरोक्त शपथ पत्र के क्रम संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य मेरी निजि जानकारी अनुसार सही हैं जिन्हें मैं सही होना मानता हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।

फर्म का पूरा पता

पैन नंबर

मोबाईल नंबर

ई-मेल आई डी

बैंक का विवरण

बैंक का नाम मय शाखा

खाता संख्या

IFSC Code

(हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता)

दिनांक

स्थान

प्रपत्र - 'A'

बिडदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सेवाओं/संकर्मों के लिए बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम अधिकृत फर्म हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर



प्रपत्र - 'B'

बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन मालों/सेवाओं/संकर्मों को जहाँ कहीं भी प्रदान की है, वहाँ विगत 3 वर्षों में सेवाओं में कमी होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

बिडदाता के हस्ताक्षर



प्रपत्र - 'C'

Price fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जो सेवा/मालं सप्लाई/संकर्म किये जायेंगे, उसमे वर्तमान खुली बोली की प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि मे समान तरह के संकर्म नहीं किये जायेंगे और यदि कम दरों पर ऐसे संकर्म किये जाते है तो दरे स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:****5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:****6. Ground of appeal:**

.....

.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

.....

Place Date

Appellant's Signature

1. First Appellant Authority : Vice Chancellor, SKNAU, Jobner.**2. Second Appellant Authority : Principal Secretary.**